संख्या-35/2016/1749/18-4-2016-11(विविध)/12टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर,2016

विषय- ''हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना'' के अंतर्गत शिल्पकारों को एक वर्ष में एक बार के स्थान पर दो बार मेला अथवा प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक-1125/13-हस्त0/ह0वि0प्रो0यो0/2016-17, दिनांक 16-08-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना'' के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-25/18-4-2013-11(विविध)/12 दिनांक 07-01-2013 के प्रस्तर-5 में आंशिक संशोधन करते हुए हस्तशिल्पियों की आय जनन के लिए मेले/प्रदर्शनी में शिल्पकार को एक वर्ष में 01 बार के स्थान पर 02 बार भाग लेने की सुविधा प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या-25/18-4-2013-11(विविध)/12 दिनांक 07-01-2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा संदर्भित शासनादेश दिनांक 07-01-2013 में उल्लिखित शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1749(1)/18-4-2016 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
3. गोपन अनुभाग-1
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in